अनुदान संख्या 20 - रक्षा मंत्रालय
GRANT No. 20–MINISTRY OF DEFENCE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*24,00*	*7,69*	*–16,31*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*15,49*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	9895,93,00	10822,35,00	10917,66,73	+95,31,73
पूरक	Supplementary	926,42,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
पूरक	*Supplementary*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1473,83,00	1473,84,00	1049,19,76	–424,64,24
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				406,10,19

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *1.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2052" - सचिवालय - सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, यद्यपि 92642.00 लाख रु. का पूरक अनुदान दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 9531.73 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 95,31,73,097 रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से**

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.1.00 lakh* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2052" "Secretariat- General Services".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, although supplementary grants of Rs.92642.00 lakhs was obtained in December, 2009 and March, 2010, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.9531.73 lakhs (actual excess was Rs.95,31,73,097). **The excess**

अनुदान की अधिक मांगें स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।

requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

Excess/savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	108419.00			
पू.	S.	15084.00	127265.77	126304.41	–961.36
पु.	R.	3762.77			
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	5341.00	821.97	873.80	+51.83
पु.	R.	–4519.03			
मुख्य शीर्ष "2037" सीमा शुल्क	Major Head "2037" Customs				
मू.	O.	60437.00	60436.36	62108.00	+1671.64
पु.	R.	–0.64			
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	54993.00			
पू.	S.	1214.00	56843.74	71795.26	+14951.52
पु.	R.	636.74			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	1452.00	1250.00	1244.08	–5.92
पु.	R.	–202.00			
मुख्य शीर्ष "2075" विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services				
मू.	O.	757088.00	834051.00	827904.32	–6146.68
पू.	S.	76344.00			
पु.	R.	619.00			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	1545.00	1329.00	1316.16	–12.84
पु.	R.	–216.00			

(I) अधिक व्यय (3617.63 लाख रु.) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए हुआ जैसा कि मुख्य शीर्ष "2052" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 133.17 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) "सचिवालय" -

(क) "रक्षा विभाग" - 996.03 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 761.86 लाख रु. था।

(ख) "रक्षा उत्पादन विभाग" - 413.90 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 421.22 लाख रु. था।

(I) The excess (Rs.3617.63 lakhs) occurred for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.133.17 lakhs under Major Head "2052" – under the following heads:-

(A) "Secretariat" –

(a) "Department of Defence" – Rs.996.03 lakhs. Actual excess, however, was Rs.761.86 lakhs.

(b) "Department of Defence Production (DP)" – Rs.413.90 lakhs. Actual excess, however, was Rs.421.22 lakhs.

(ग) ''भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग'' - 135.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 101.12 लाख रु. था।

(खा) ''अन्य कार्यालय - रक्षा लेखा विभाग'' - 2072.70 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1651.47 लाख रु.था।

(II) मुख्य शीर्ष ''2037'' - ''निवारक और अन्य कार्य - तटरक्षक संगठन'' के अंतर्गत 1671.00 लाख रु. का अधिक व्यय (60437.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, रिक्त पदों के भरे जाने और सीसीएस के अनुमोदन से तट पर इकाई आरएचक्यू स्थापित किए जाने, नए पोतों पर जनशक्ति तैनात/स्थानांतरित किए जाने एवं नए पोतों के लिए नौसैनिक भंडार मदों की अधिप्राप्ति किए जाने और प्रचालनात्मक इकाई की मरम्मत/रिफिट किए जाने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''विशेष पुलिस - जम्मू तथा कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से संबंधित प्रभारों की अदायगी''के अंतर्गत 15588.26 लाख रु.का अधिक व्यय (1214.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 56207.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में सैन्य दलों का अतिरिक्त संचलन होने और सीआई संक्रियाओं में जम्मू तथा कश्मीर लाइन इन्फेंट्री इकाइयों के शामिल होने की वजह से उन्हें भंडारों की अधिक मांग और आपूर्ति होने के कारण हुआ।

3. उपर्युक्त अधिक व्यय नीचे दिए अनुसार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''अन्य कार्यालय - रक्षा सम्पदा संगठन'' - 8849.00 लाख रु.के मूल प्रावधान को 11686.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 20535.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, समय की कमी की वजह से अनुदान का उपयोग न होने के कारण 144.09 लाख रु. की

(c) "Department of Ex-Servicemen Welfare (DESW)" – Rs.135.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.101.12 lakhs.

(B) "Other Offices - Defence Accounts Department (DAD)" – Rs.2072.70 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1651.47 lakhs.

(II) Under Major Head "2037" – "Preventive and Other functions –Coast Guard Organisation" – excess of Rs.1671.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.60437.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 6th Central Pay Commission Report, filling up of vacant posts and establishing of ashore units RHQ with the approval of CCS, posting/transfer of manpower to new ships and procurement of Naval store items for new ships and repair/refit of operational unit.

(III) Under Major Head "2055" – "Special Police – Charges paid in respect of J & K Light Infantry" – excess of Rs.15588.26 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.56207.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1214.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report, additional movement of troops in the last month of financial year and more demand and supply of stores to JAKLI units owing to their involvement in CI Operations.

3. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2052" – "Other Offices - Defence Estate Organisation (DEO)" – the original provision of Rs.8849.00 lakhs was augmented to Rs.20535.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.11686.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.144.04

सीमा तक अप्रयुक्त रहा क्योंकि एम ए के अंतर्गत बढ़ा हुआ आवंटन 31.03.2010 को प्राप्त हुआ था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2075'' - कैंटीन स्टोर विभाग - कैंटीन सेवा निदेशालय'' - 757088.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 76344.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 833432.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, सरकारी अधिकारियों के कम बिल प्राप्त होने, कुछ परियोजनाएं निष्पादित न किए जाने और एमईएस प्राधिकारियों द्वारा कार्यादेशों की धीमी प्रगति होने के कारण 5527.68 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2024'' - ''अन्य व्यय - सशस्त्र सेना अधिकरण'' के अंतर्गत 4467.20 लाख रु. की बचत (5341.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न शाखाओं में, सदस्यों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2059'' - ''कार्यालय भवन - रखरखाव और मरम्मत - रक्षा लेखा विभाग'' के अंतर्गत 194.96 लाख रु. की बचत (1352.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''सामान्य पूल आवास - रख-रखाव और मरम्मत - अन्य रख-रखाव व्यय'' के अंतर्गत 228.84 लाख रु. की बचत (1545.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं को देर से अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई ।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 97.30 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत थी।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

lakhs - due to non-utilisation of grant owing to paucity of time as the enhanced allocation under MA was received on 31/03/2010.

(B) Major Head "2075" – "Canteen Stores Department (CSD) - Directorate of Canteen Services" – the original provision of Rs.757088.00 lakhs was augmented to Rs.833432.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.76344.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5527.68 lakhs - due to receipt of less bills from Government authorities, non-execution of some projects and slow progress of work orders by MES authorities.

(II) Under Major Head "2014" – "Other Expenditure - Armed Forces Tribunal" – saving of Rs.4467.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5341.00 lakhs) was due to delay in finalisation of appointment of members in various branches.

(III) Under Major Head "2059" – "Office Buildings – Maintenance and Repairs – Defence Accounts Department" – saving of Rs.194.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1352.00 lakhs) was due to austerity measures.

(IV) Under Major Head "2216" – "General Pool Accommodation – Maintenance and Repairs – Other maintenance expenditure" – saving of Rs.228.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1545.00 lakhs) was due to late finalisation of tenders.

(V) Under one head saving of Rs.97.30 lakhs occurred constituting 31 percent of the sanctioned provision.

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4047'' अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	130001.00			
पू.	S.	1.00	92093.10	90765.41	–1327.69
पु.	R.	–37908.90			
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	6958.00	4334.71	3903.03	–431.68
पु.	R.	–2623.29			
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2624.00	2419.00	2355.70	–63.30
पु.	R.	–205.00			

(I) 300.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन-निर्माण-रक्षा सम्पदा संगठन'' के अंतर्गत एक मामले में रक्षा मंत्रालय प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से राष्ट्रीय रक्षा सम्पदा प्रबंधन संस्थान हेतु निर्धारित निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''4047'' - ''सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन'' के अंतर्गत 39236.59 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 130002.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएनसी के पूरा न होने, उपस्करों की पूर्ति न होने/देर से होने, आईपीवी परियोजना यार्डों के विभिन्न चरणों

(I) Provision of Rs.300.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4059" – "Office Buildings – Construction – Defence Estate Organisation" – due to non-utilisation of funds meant for National Institute of Defence Estates Management (NIDEM) owing to non-finalisation of proposal by Ministry of Defence.

(II) Under Major Head "4047" – "Customs - Coast Guard Organisation" – saving of Rs.39236.59 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.130002.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in

की धीमी प्रगति होने, कुछ भूमि अधिग्रहण के मामलों के मूर्तरूप न लेने और 05 तीव्र गति नौकाओं एवं नौचालन/काम उपस्कर संबंधी नई स्कीमों के स्वीकृत न किए जाने के कारण हुई।

December, 2009) was due to non-completion of CNC, non/late supply of equipments, slow progress of various stages of IPVs project yards, non-materialisation of a few land acquisition cases and non-sanctioning of new schemes towards 05 Fast Speed Boats (FSBs) and Navigation/Com. Equipment.

(III) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन - निर्माण'' के अंतर्गत बचतं निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "4059" – "Office Buildings - Construction" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''रक्षा लेखा विभाग'' - 840.93 लाख रु. की बचत (4158.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं को देर से अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(A) "Defence Accounts Department" – saving of Rs.840.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4158.00 lakhs) was due to late finalisation of tenders and slow progress of works by executing agencies.

(खा) ''सशस्त्र सेना अभिकरण'' - 1914.04 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नवगठित अधिकरण के कार्यालय भवन के लिए निर्माण योजना को अंतिम रूप न दिए जाने और स्थान निर्धारण और राजस्व निकासी में कठिनाइयों की वजह से क्षेत्रीय शाखाओं की स्थापना में विलम्ब होने के कारण हुई।

(B) "Armed Forces Tribunal" – saving of Rs.1914.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-finalisation of construction plan for office building of newly set up Tribunal and delay in establishment of Regional Branches owing to difficulties in site location and revenue clearance.

(IV) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - निर्माण -'' के अंतर्गत 268.30 लाख रु.की बचत (2624.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं को देर से अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings - Other Housing - Construction" – saving of Rs.268.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2624.00 lakhs) was due to late finalisation of tenders and slow progress of works by executing agencies.

5. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 88.39 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं और ये स्वीकृत प्रावधान का 44 प्रतिशत थीं।

5. The above savings were partly offset by an excess of Rs.88.39 lakhs under one head constituting 44 percent of the sanctioned provision.